न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 45/2022

अनवान : –

1. जुगलाल बेनिवाल पुत्र श्रीचन्द बेनिवाल जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।

–सायल

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–गैरसायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी
पेरोकार राज

निर्णय **दिनांकः** 27/3/23

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा पाण्डुसर तहसील नोहर के खाता स0 246/59 के खसरा न0 495/45 की कुल 0.1060है0 भूमि व रोही मौजा पाण्डुसर के खाता स0 251/59 के खसरा न0 485/45 की कुल 1.9750है0 भूमि प खातेदारी भूमि सायल जुगलाल बेनिवाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

खाता विभाजन के समय रोही मौजा पाण्डुसर तहसील नोहर के खाता स0 246/59 के खसरा न0 495/45 की कुल 0.1060है0 भूमि रास्ता के लिए छोड़ी गई थी तथा उपरोक्त भूमि खाता विभाजन के समय से ही रास्ता के उपयोग में आ रही है। सायल पाण्डुसर के स्वीकृतशुदा रास्ता से होते हुए खसरा न0 495/45 की कुल 0.1060है0 भूमि से होते हुए रोही मौजा पाण्डुसर तहसील नोहर के खाता स0 251/59 के खसरा न0 485/45 की 1.9750है0 भूमि में प्रवेश करता है यह रास्ता वर्तमान में चालु रास्ता है। सायल अपनी स्वैच्छा व सहमति से अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग –उपभोग के लिए उक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत करवा पाने की कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार (राजस्व) नोहर को मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया।

प्रार्थी जुगलाल बेनिवाल के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि सायल अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग –उपभोग के लिए उक्त प्रस्तावित रास्ता का उपयोग करता है। इसके अलावा प्रार्थी के [illegible] नही है। उक्त रास्ता की भूमि को हम खातेदारी दर्ज भूमि में [illegible] चाहते है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:54:14 IST
Reason: SelfAttested

पेरोकार राज ने बहस में निवेदन किया की सायल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं राज्यहकों को ध्यान में रखकर रास्ता स्वीकार किया जाता है तो कोई एतराज नही है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में रोही मौजा पाण्डुसर तहसील नोहर के खाता स0 246/59 के खसरा न0 495/45 की कुल 0.1060है0 भूमि व रोही मौजा पाण्डुसर के खाता स0 251/59 के खसरा न0 485/45 की कुल 1.9750है0 भूमि सायल जुगलाल बेनिवाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। सायल अपनी खातेदारी में आवागमन हेतु रोही मौजा पाण्डुसर के खसरा न0 495/45 की कुल 0.1060है0 भूमि से होते हुए रोही मौजा पण्डुसर तहसील नोहर के खाता स0 251/59 के खसरा न0 485/45 की 1.9750है0 भूमि में प्रवेश करता है। तहसीलदार (राजस्व) द्वारा पत्र क्रमांक 1748 दिनांक 15.12.2022 द्वारा पेश मौका जांच रिपोर्ट में भी उक्त रास्ता स्वीकृत करने की अभिशंषा की गई है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार एवं तहसीलदार (राजस्व) नोहर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों तथा तहसीलदार (राजस्व) नोहर की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोहर को आदेशित किय़ा जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो वे रोही मौजा पाण्डुसर के खसरा न0 495/45 की कुल 0.1060है0 भूमि का रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता अंकन करें। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 27/3/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:54:14 IST
Reason: SelfAttested